



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256642
CG-DL-E-24082024-256642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946

No. 3282]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

का.आ. 3599(अ).— अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को उक्त संस्थान का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. वी-16020/71/2024-आईएनआई-1]

अंकिता मिश्रा बूंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 3599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health & Family Welfare, a Member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi to be the President of the said Institute.

[F. No. V-16020/71/2024-INI-I]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.